

खनिज प्रकरण

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण	(i)	शहडोल जिले में कोयला खनिज के उत्खनन हेतु 151.065 हे. वन भूमि की आवश्यकता है विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में-						
	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्तावित परिवर्तन/स्कीम का संक्षिप्त विवरण		अनु क्र.	जिले का नाम	वनसंरक्षक का नाम	परिशिष्ट का नाम	अपेक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	अपेक्षित क्षेत्रफल हे. में
			1	2	3	4	5	6	7
			1.	शहडोल	दक्षिण शहडोल	बुढ़ार	गोपालपुर	827	50.835
			2.	शहडोल	दक्षिण शहडोल	बुढ़ार	गोपालपुर	828	91.240
							योग		142.075

(ब) राजस्थान विभाग के अधीन वनभूमि-									
			अनु क्र.	जिले का नाम	वनसंरक्षक का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	अपेक्षित क्षेत्रफल हे. में
			1	2	3	4	5	6	7
			1	शहडोल	दक्षिण शहडोल	बुढ़ार	गोपालपुर	90	0.081
								95	0.769
								99	0.101
								182/2	0.506
								189	0.069

								195	0.717
								233/1	1.271
								योग	3.514
							रस्ता	809/1	0.040
								832/1	1.036
								1428/1	1.137
								1432	0.231
								1435/1	0.203
								1437/1	0.810
								1444	0.101
								1542	0.065
								1546/1	1.154
								1599	0.729
								योग	5.506
								कुल योग	9.020
								कुल आवेदिता क्षेत्रफल 151.085 हे. में	
								आवेदिता वनभूमि 142.075 हे. एवं राजस्व वन भूमि 9.020 हे. के विरुद्ध जिला तहसील के ग्राम के अन्तर्गत हे. समतुल्य गैर वन भूमि सर्व क्रमांक /खसरा क्रमांक में उपलब्ध करायी जावेगी। इस हेतु जिलाधिकारी के आदेश क्रमांक दिनांक की प्रति मय सम्बन्धित के सन्तान है।	

			अवेदक विभाग, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जहाँ भी चाहे तब होगी उसे अनुदान करने हेतु बचनबद्ध है। अवेदक विभाग भारत सरकार/राज्य सरकार / नोटल अधिकारी द्वारा जो भी शर्तें एवं मुआवज़े आदि निर्वाचित करेगा अवेदक विभाग उसे मान्य करने हेतु बचनबद्ध होगा।
			अवेदित क्षेत्र को वैशुद्ध समुत्पन्न गैर का भूमि है नव्यप्रदेश में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध नहीं है। इस बाबत मुख्य अधिकारी म.प्र. शासन का प्रमाण पत्र संलग्न है।। अवेदित क्षेत्र का समुत्पन्न रूप से सर्वेक्षण / निरीक्षण दिनांक को किया गया था तथा अवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
(iii)	1:50,000 स्केल मैप पर कन भूमि और उसके आसपास के कनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	(ii)	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत	(iii)	परियोजना में रुपये 88 करोड़ की लागत आयगी एवं इसकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष के आदेश क्रमांक MMCPL/BCL/19177 दिनांक 17.08.09 द्वारा प्राप्त हुई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
(iv)	कन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का श्रेयित्व	(iv)	कन भूमि के नीचे प्राकृतिक खनिज भण्डार स्थित है, जिसे स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। कनभूमि का उपयोग किये बिना (खनिज भण्डार) कोपला का उत्खनन कर बाहर निकालना संभव नहीं है। फलस्वरूप कनभूमि में खनिज उत्खनन करने के शिथे परियोजना स्थापित करना आवश्यक एवं अकिंचपूर्ण है।
(v)	लागत साम विस्तरेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	(v)	परियोजना के निर्माण से 1000 लाख रुपये प्रतिवर्ष का लाभ है एवं इस निर्माण से रुपये की हानि है। दोनों का विस्तरेषण करने पर परियोजना निर्माण आवश्यक है, इस संबंध में विस्तृत लागत साम विस्तरेषण संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	(vi)	701 लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।

2	कुल आवेधित भूमि का उद्देश्यकार विवरण	151.095 है, इन क्षेत्रों की विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यकता है।																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>रकबा हेक्टेयर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ओपन कास्ट उत्खनन</td> <td>103.268</td> </tr> <tr> <td>बंदराउठ</td> <td>36.728</td> </tr> <tr> <td>वॉल्विस्मिल विस्मिंग</td> <td>3.120</td> </tr> <tr> <td>खनिज खनियन</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>सडक निर्माण</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>अन्य दूसरे कार्य (गारलैण्ड तथा अन्य क्षेत्रों)</td> <td>3.961</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>151.095</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	रकबा हेक्टेयर	ओपन कास्ट उत्खनन	103.268	बंदराउठ	36.728	वॉल्विस्मिल विस्मिंग	3.120	खनिज खनियन	1.000	सडक निर्माण	3.000	अन्य दूसरे कार्य (गारलैण्ड तथा अन्य क्षेत्रों)	3.961	कुल	151.095
विवरण	रकबा हेक्टेयर																	
ओपन कास्ट उत्खनन	103.268																	
बंदराउठ	36.728																	
वॉल्विस्मिल विस्मिंग	3.120																	
खनिज खनियन	1.000																	
सडक निर्माण	3.000																	
अन्य दूसरे कार्य (गारलैण्ड तथा अन्य क्षेत्रों)	3.961																	
कुल	151.095																	
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण दे, यदि कोई हो?	विवरण नीचे अनुसार है-																
(i)	परिवारों की संख्या	(i) 49 परिवार/आवश्यक नहीं है।																
(ii)	अजा./अज.जा. परिवारों की संख्या	(ii) 10 परिवार/आवश्यक नहीं है।																
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	(iii) संलग्न है।																
4	क्या धारा 17(1) (संशोधन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत संकरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	4. हां।																

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुक्षण और / या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के लक्ष्य-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुखा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाए)	5. संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों दस्तावेजों का ब्योच	6. संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्योच निम्न प्रकार है- 1. 1 : 50000 स्केल मैप, 1 : 25000 स्केल मैप 2. परियोजना संबंधी विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) 3. लागत लाभ विश्लेषण विवरण 4. पुनर्वास योजना 5. पुनर्वनीकरण की वचनबद्धता। 6. वचन पत्र एवं प्रमाण पत्र

तिथि
स्थान

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

आवेदक

वास्ते बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(सीमेन्ट, डिवीजन), सतना


(पी. माहेशी)
महाप्रबंधक (कोल कारारी)

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा।)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरना जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान- विक्रम कोल ब्लॉक भूमिगत खनन एवं उपरीतल उत्खनन हेतु																										
(i)	राज्य/संघ संबंधित क्षेत्र	(i)	मध्यप्रदेश																								
(ii)	जिला	(ii)	शहडोल जिला																								
(iii)	वन प्रभाग	(iii)	वन मण्डल का नाम- दक्षिण वन मण्डल शहडोल, पश्चिम बुझार वन खण्ड का नाम गोपालपुर / आवेदित क्षेत्र ,151.095																								
			(ख) वन विभाग के अधीन वन भूमि में-																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>अनु. क्र.</th> <th>जिले का नाम</th> <th>वन मण्डल का नाम</th> <th>आवृत्त /संबंधित वन खण्ड का नाम</th> <th>वन संरक्षक पुराना / नया</th> <th>लम्बाई कि.मी. में</th> <th>रौंदाई</th> <th>जांचित क्षेत्रफल हे.में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>शहडोल</td> <td>द.शहडोल</td> <td>गोपालपुर -2 गोपालपुर-2 ए</td> <td>827 828</td> <td>0 0</td> <td>0</td> <td>50.835 91.240</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>142.075</td> </tr> </tbody> </table>	अनु. क्र.	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	आवृत्त /संबंधित वन खण्ड का नाम	वन संरक्षक पुराना / नया	लम्बाई कि.मी. में	रौंदाई	जांचित क्षेत्रफल हे.में	1	शहडोल	द.शहडोल	गोपालपुर -2 गोपालपुर-2 ए	827 828	0 0	0	50.835 91.240					Total			142.075
अनु. क्र.	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	आवृत्त /संबंधित वन खण्ड का नाम	वन संरक्षक पुराना / नया	लम्बाई कि.मी. में	रौंदाई	जांचित क्षेत्रफल हे.में																				
1	शहडोल	द.शहडोल	गोपालपुर -2 गोपालपुर-2 ए	827 828	0 0	0	50.835 91.240																				
				Total			142.075																				

(रि) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि

क्र. सं.	जिले का नाम	वन संरक्षण का क्षेत्र	राजस्व का क्षेत्र	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	आवधिक क्षेत्रफल (हे. में)
-	सह्याद्रि	सुरक्षा क्षेत्र	मुजफ्फर	गाण्डापुर	90			0.081
					95			0.769
					99			0.101
					182/2			0.506
					189			0.069
					195			0.717
					235/1			1.271
					Total			5.514
				बन्दर	809/1			0.040
					832/1			1.036
					1428/1			1.137
					1432			0.231
					1435/1			0.203
					1437/1			0.810
					1444			0.103
					1542			0.065
					1546/1			1.154
					1599			0.729
					Total			5.506
					G.Total			9.020

वन भूमि एवं वन राजस्व भूमि का कुल आवधिक क्षेत्रफल 151.095 हे० में

(iv)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हे. में)		151.095 हे० वनेतर क्षेत्र
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(v)	आरक्षित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र हैं।
(vi)	हरियाली का घनत्व	(vi)	आवधिक वनक्षेत्र में साजा, शाल, मिथिल वन हैं इन दोनों कक्षाओं के अंतर्गत में ब्लैक एरिच आता है। जिलका घनत्व 0.2 से 0.5 तक है। वन भूमि 142.075 हे० एवं राजस्व भूमि 6.020 कुल 151.095 हे. क्षेत्र आरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि है।

<p>vii प्रजातित्वात् (वैज्ञानिक नाम) परिधि श्रेणीवार कुओं की परिष्करण (संलग्न) की जाये। -सिंचाई/जलीय परियोजना के संरक्ष में एफ.आर.एल. -2 मीटर पर परिष्करण और एफ.आर.एल. 4 मीटर भी संलग्न किया जाये।</p>	<p>vii आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार वनस्पति पायी जाती है</p> <table border="1" data-bbox="753 698 1444 1057"> <thead> <tr> <th>सं.क्र.</th> <th>प्रजाति का स्थानीय नाम</th> <th>बाटनीकल नाम</th> <th>वृक्ष की श्रेणी</th> <th>अनुमानित मूल्य</th> <th>विशेष टिप्पण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>बाल</td> <td>सोपिथरबन्दा</td> <td>2092</td> <td>27622604.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मैलाबेरी</td> <td>मिरदेरी</td> <td>503</td> <td>339510.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>साजा</td> <td>सर्किस्को टैम टोसा</td> <td>364</td> <td>1797214.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>सिन्धा हल्दी खम्वर</td> <td>पलिंग्घ एकलपरिस्ता एकलमा कर्मिरेडिग मैलिना जार सेरिवा</td> <td>8</td> <td>109706.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>योग</td> <td>2857</td> <td>29869838.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>विस्तृत परिधि श्रेणीवार संलग्न है।</p>	सं.क्र.	प्रजाति का स्थानीय नाम	बाटनीकल नाम	वृक्ष की श्रेणी	अनुमानित मूल्य	विशेष टिप्पण	1	बाल	सोपिथरबन्दा	2092	27622604.00		2	मैलाबेरी	मिरदेरी	503	339510.00		3	साजा	सर्किस्को टैम टोसा	364	1797214.00		4	सिन्धा हल्दी खम्वर	पलिंग्घ एकलपरिस्ता एकलमा कर्मिरेडिग मैलिना जार सेरिवा	8	109706.00				योग	2857	29869838.00	
सं.क्र.	प्रजाति का स्थानीय नाम	बाटनीकल नाम	वृक्ष की श्रेणी	अनुमानित मूल्य	विशेष टिप्पण																																
1	बाल	सोपिथरबन्दा	2092	27622604.00																																	
2	मैलाबेरी	मिरदेरी	503	339510.00																																	
3	साजा	सर्किस्को टैम टोसा	364	1797214.00																																	
4	सिन्धा हल्दी खम्वर	पलिंग्घ एकलपरिस्ता एकलमा कर्मिरेडिग मैलिना जार सेरिवा	8	109706.00																																	
		योग	2857	29869838.00																																	
<p>viii भू-क्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदन क्षमता पर सक्षिप्त टिप्पणी</p>	<p>viii स्थल भू-संरक्षण के लिये वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।</p>																																				
<p>ix वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी</p>	<p>ix आवेदित/ संरक्षित वन खण्ड गोपालपुर-2 एवं गोपालपुर-3ए. की सीमा से 0 कि.मी. है।</p>																																				
<p>x क्या यह राष्ट्रीय चट्टान वन्य जीव अभयारण्य जीव मण्डल रिजर्व, बांध रिजर्व, हाथी कोरीबोर आदि का भाग है ? यदि हाँ तो क्षेत्र का वन्य और प्रमुख वन्य जीव चार्जिंग की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये।</p>	<p>x राष्ट्रीय चट्टान / वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र मण्डल रिजर्व बांध रिजर्व/हाथी कोरीबोर के अंतर्गत का क्षेत्र नहीं है।</p>																																				
<p>xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हाँ तो तालिका की तैयारी दें।</p>	<p>xi आवेदित वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/ संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।</p>																																				

XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है? यदि हाँ तो तत्संबंधी सीमा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि उपलब्ध हो तो दें।	XIII	आवेदित क्षेत्र को आस-पास में सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	प्रयोजन एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के तहत अधिहार्य और न्यूनतम है? यदि नहीं तो जांचे गए पिकल्पों के सीरों के साथ मंत्रालय संश्लेषित क्षेत्र क्या है?	8.	वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के बीच कावला कर प्राकृतिक भण्डार है। अन्य जगह स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? यदि हाँ तो कार्य की अवधि, धोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का सीमा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं?	9	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का सीमा		
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित क्षेत्र/अतिक्रमिता क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	(i)	यह भूमिगत एवं उपरीतल खनन किया जाता है क्षतिपूर्ति के दूधारोपण हेतु संस्थान द्वारा राजस्व गैर वन भूमि वन नग्नल उत्तर शहरोज में उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित क्षेत्र/अतिक्रमिता क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं की दूरता में	(ii)	प्रोजेक्ट के साथ मानचित्र संलग्न किया जाएगा।

(iii)	संघित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूचित प्रजातों का आदि	(iii)	-
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिणाम	(iv)	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिव्यक्ति क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधनीय वृद्धिकर्म से सम्बन्धित प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	(v)	-
11.	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपसूक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)		<p>1- निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।</p> <p>2- 7(xi) - आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाली की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं।</p> <p>3- 7(xii) - आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातात्विक/ पारम्परिक स्थल / स्था प्रतिष्ठाएं और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है।</p> <p>4- आवेदक द्वारा कोयला खदान हेतु जो मांग की गई है वह न्यूनतम है। संस्थान की मांग उचित प्रतीत होती है।</p> <p>5- 9- प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान में कोई गतिविधि संचालित नहीं है। अतः व.स.अ. 1980 को उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।</p> <p>6- प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/ अन्य जीव अभ्यारण्य/ जैव मण्डल रिजर्व/ बाघ रिजर्व, / वन्य प्राणी कॉरीडोर के अन्तर्गत का क्षेत्र नहीं है।</p>

12	विभाग/जिला प्रोफाईल	12	-																					
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल 5684 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है।																					
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	(ii)	जिले का कुल 1129.533 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। जो वन विभाग के अधीन है।																					
(iii)	नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र	(iii)	अभी तक निम्नानुसार कुल 1877.956 हे० वन क्षेत्र गैर वनिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।																					
(iv)	1980 से जिले/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	(iv)	24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/मंडल अधिकारी मुख्य वन सहायक (गू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था																					
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि (ख) वनेतर भूमि परत		<table border="1"> <thead> <tr> <th>अनु क्र.</th> <th>जिला</th> <th>दुगने विगड़े वन क्षेत्र हे.मे</th> <th>दण्डस्वरूप वन भूमि पर हे.मे</th> <th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर हे.मे</th> <th>दण्डस्वरूप गैर वन भूमि पर हे.मे</th> <th>योग</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>शुद्धोल</td> <td>1017.257</td> <td>-</td> <td>577.656</td> <td>-</td> <td>1594.912</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण - 1594.912 हे. मे</p>	अनु क्र.	जिला	दुगने विगड़े वन क्षेत्र हे.मे	दण्डस्वरूप वन भूमि पर हे.मे	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर हे.मे	दण्डस्वरूप गैर वन भूमि पर हे.मे	योग	1	2	3	4	5	6	7	1	शुद्धोल	1017.257	-	577.656	-	1594.912
अनु क्र.	जिला	दुगने विगड़े वन क्षेत्र हे.मे	दण्डस्वरूप वन भूमि पर हे.मे	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर हे.मे	दण्डस्वरूप गैर वन भूमि पर हे.मे	योग																		
1	2	3	4	5	6	7																		
1	शुद्धोल	1017.257	-	577.656	-	1594.912																		

(V)	अभी तक प्रतिपूरक प्रगति (क) वनभूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	V	अभी तक निम्नानुसार मूल्यांकन किया गया है :-						
			अनु.क्र.	दुगुने वनक्षेत्र में (हे.)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर हे.में	स्वीकृति अनुसार वन पर हे.में	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर हे.में	योग	व्यय
			1	2	3	4	5	6	7
			1	794.436	-	700.079	-	894.515	-
			अभी तक किया गया कुल कृषारोपण - 894.515 हे. एवं व्यय 8939683.00 रुपये में						
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्वेष्य लेने के पक्ष में सप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	:	आयुक्त विभाग द्वारा आवंटित 151.095 हे. सत्र उपयोग हेतु देने की अनुरोध की जाती है।						

तिथि:
स्थान: साठडोल

3

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल दक्षिण इलाहाबाद
(सरकारी मोहर)

210


भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा पत्रा जाना है।)

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	14		नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उक्त वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	15		सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	15		वनमण्डलधिकारी, वनमण्डल वसिष्ठ ब्रह्मसंत द्वारा रकबा (142.075+9.020) 151.095 हे. वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में भूमिगत एवं उपरिगत खनन हेतु उपयोग पर चेने बाधा अनुशासना की गई है। इस कार्यालय द्वारा भी अनुशासना की जाती है। वनभूमि व्यपवर्तिका होने पर वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सतत अनुक्षण एवं नृत्यासन किया जायेगा। इस कार्य हेतु आयेदक संरक्षण द्वारा एक खहन (सहस्रपिचो/भोसैरो) भी लखलका कराया जायेगा।

दिनांक: 24.12.2013

स्थान: शुद्धोत्त


(विनाय कुमार शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
वन मंडल, शुद्धोत्त, जिला
शुद्धोत्त, जिला, जिला